

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य (न्यायिक)
2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-14/2026

पंजीकरण तिथि:-30.01.2026

निर्णय की तिथि:-13.02.2026

कुंवर सिंह चिलवाल,
शिवपुरी, जावाहर ज्योति, दमुवाढूगा,
हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

परिवादी


बनाम


अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी (ग्रामीण)

विपक्षी

निर्णय


1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- 26 जुलाई 2025 को स्मार्ट मीटर लगाया था। अगस्त 25 में बिल ₹ 2416, सितम्बर 25 में बिल ₹ 8576, अक्टूबर 25 में ₹ 13071, नवंबर में ₹ 6466 दिसंबर में ₹1814। उससे पहले मार्च 24 में ₹ 7659, अप्रैल 24 में ₹ 8589 बाकी महीनों में ₹600 से ₹ 2000 के बीच आता था। इस संबंध में मैंने 16.09.2025 को उपखंड अधिकारी महोदय से शिकायत की तो 10.10.2025 को विद्युत कर्मचारी जांच मीटर लगा गया। मेन स्विच से जांच मीटर तक तार नहीं पहुंचा तो उसने पुराना तार जोड़ कर लगा दिया। उसके बाद 10.11.2025 जांच मीटर ले गया और कहा कि मीटर ठीक है। बिल कम नहीं होने से मैंने सोलर प्लांट लगाया तो उसने सोलर मीटर लगाने के लिए वही पुराना जुड़ा हुआ तार उस कर्मचारी ने भी लगा दिया। वही तार अंदर से जलता रहा और 22.01.2026 को तार जलकर नीचे गिर गया। फिर मैं जिसने सोलर मीटर जोड़ा था उसको बताया तो उसने कहा यह हमारा काम नहीं है फिर भी तार जोड़ गया, फिर मैंने जिससे फिटिंग कराई थी उसे कहा तो उसने कहा कि मेन स्विच से एक ही तार सोलर व स्मार्ट मीटर में लगाना है मीटर में शील लगी है इससे सरकारी कर्मचारी ही कर सकते हैं फिर मैं 25 और






26 को छुट्टी होने के कारण 27.01.2026 को प्रार्थना पत्र लेकर उपखंड अधिकारी साहब के कमलुवागांजा दफ्तर में गया। वहां पर कर्मचारी बैठे थे उन्होंने कहा कि यह काम दमुआदूंगा में हो जाएगा। उन्होंने मुझे JE साहब का नंबर दे दिया। मैं वापस दमुआदूंगा आकर उनको समझा बताया, उन्होंने जहां विद्युत शिकायत की जाती है उनका नंबर दे दिया। मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा थोड़ी देर में कर्मचारी आ जाएंगे। 2:00 बजे करीब कर्मचारी का फोन आया कि मैं जब आऊंगा तो आपको फोन करूंगा। शाम के 5:00 बजे नहीं आया फिर मैंने फोन किया तो बोला जब आऊंगा तो बता दूंगा। उसके बाद शाम करीब 6:30 बजे बारिश हो रही थी अंधेरा हो गया था तब उसका फोन आया मैं उसे लेने के लिए रोड में गया उसको लेकर आया, आते ही उसने कहा कि यह काम हमारा नहीं है मैंने कहा की तार में मेन स्विच से मीटर के अंदर जोड़ना है इसमें शील लगी है तोड़ना पड़ेगा। फिर शील लगानी होगी यह सरकारी विद्युत विभाग ही कर सकता है फिर वह बोला अभी अंधेरा हो गया है कल सुबह 9:00 बजे आऊंगा। दिनांक 28.01.2026 को मैंने 10:00 बजे उसको फोन किया तो उसने कहा थोड़ी देर में आता हूँ मगर 11:00 बजे तक नहीं आया फिर फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया फिर मैंने शिकायत वाले नंबर पर बात की तो उसने कहा ठीक है अभी बात करता हूँ 12:00 बजे गए फिर फोन किया तो बोला वह क्यों नहीं आया मैं उससे बात करता हूँ फिर 2:00 बजे गए। मैंने फिर बारी-बारी दोनों को फोन किया किसी ने भी नहीं उठाया। कल 29.01.2026 को भी इंतजार किया कोई नहीं आया। आज मजबूर होकर आपको लिख रहा हूँ। तार जलने से करीब 550 यूनिट तीन चार दिन में फालतू खर्च हो गया। महोदय आपसे अनुरोध है:- कि स्मार्ट मीटर बदलेंगे की कृपा की जाए। मेन स्विच से स्मार्ट मीटर व सोलर मीटर तक एक ही तार को जुड़ने की कृपा की जाए। तार जलने से आग लगने का खतरा है। मैं हमेशा के लिए आपका अभारी रहूंगा।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर उपभोक्ता के बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की बिल उनकी खपत के आधार पर सही बने हैं। साथ ही पोल से मापक तक जा रही तारों को चेक करवाने हेतु कहा गया है। अतः मा० फोरम से निवेदन है की वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।
3. परिवादी द्वारा अपनी आपत्ति/प्रतिउत्तर में कहा गया कि बिल में कोई संशोधन नहीं हुआ। पोल से मापन तक जा रही तारों को चेक करने हेतु अभी तक कोई नहीं आया। कटे हुए तार को जोड़ने के लिए दिनांक 07.02.26 को विभाग से कर्मचारी आया कल आऊंगा कहकर चला गया, दूसरे दिन दिनांक 08.02.26 को उसे दो बार फोन किया मगर वह नहीं आया फिर जिसने पहले घर की फिटिंग







- की थी वह आया उसने अपने पहचान वाले को बुलाया और तार जोड़ गया। महोदय आपसे निवेदन है कि मेरी शिकायत को रद्द करने की कृपा की जाये।
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के शिकायती पत्र पर विपक्षी ने आख्या दी है कि परिवादी के विल उसकी खपत के आधार पर सही वने हैं। विपक्षी की आख्या के प्रतिउत्तर में परिवादी ने मंच से अपनी शिकायत रद्द करने की मांग की है। अतः इस वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा वाद को निरस्त करने की मांग के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


दिनांक:—13.02.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:—13.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-16/2026

पंजीकरण तिथि-03.02.2026

निर्णय तिथि-24.02.2026

प्रियंका भट्ट
ग्राम-गुनियालेख
तहसील-धारी
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम


अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।


विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 02.02.2026 में कहा गया है कि "I am writing to formally lodge a complaint regarding my electricity connection and repeated excessive billing despite having installed a Solar On-Grid system at my residence. (Consumer Details: Account Number: 42400971514, Connection Holder Name: Mrs. Priyanka Bhatt, Address: Village Guniyalekh, Tehsidi Dhari, Dist Nainital)

With a strong concern for sustainability, I installed Solar Panels at my residence. In October 2025, your area lineman installed and connected a new meter under the Solar On-Grid policy. However, since then, I have been receiving unusually high electricity bills, which I have been paying under protest. This is extremely concerning as no one resides in the house for more than 2 days in a month, making such high consumption practically impossible. I have raised multiple complaints through Online complaint portals, and Telephone customer care. Unfortunately, each time I am being redirected from one department to another and asked to raise fresh complaints repeatedly, without any concrete resolution. Due to the continued issue, I requested my solar installation company to inspect the setup. After inspection, they confirmed (and recorded a video as evidence) that the meter wiring has been done incorrectly. Specifically: The import and export wires have been interchanged, This error has resulted in incorrect meter readings and inflated bills, The issue appears to be due to faulty installation by the area lineman at the time of meter connection. Because of this negligence, I have suffered: Significant financial losses due to incorrect billing, and Mental trauma and stress from repeated follow-ups without resolution.









3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। परिवादी द्वारा कहा गया है कि नवंबर माह के बिल में 2548 यूनिट की खपत दर्शायी जा रही है जबकि उक्त बिल अवधि में मीटर की MD 0.36 K.W है। इसी प्रकार इससे पूर्व के बिलों में MD 1.79 K.W तथा 1.05 K.W दर्शायी गई है जबकि बिल में खपत शून्य यूनिट और 201 यूनिट है। विपक्षी द्वारा भी एम0आर0आई0 रिपोर्ट का अवलोकन करने पर स्वीकार किया गया है कि परिवादी के अक्टूबर और नवंबर माह के बिलों एवं एम0आर0आई0 रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि विद्युत मांग के सापेक्ष खपत सही रिकॉर्ड नहीं की गयी।
4. उभय पक्षों की सुनवाई एवं पत्रावली के अवलोकन से यह मंच इस मत का है कि परिवादी के अक्टूबर एवं नवंबर माह के बीजक पिछले तीन बिल चक्रों के मासिक औसत $\{(201+681+276)/3=386$ यूनिट} के हिसाब से संशोधित करें तथा बिलों में लगे समस्त LPS को हटाते हुए बीजक जारी करे। साथ ही परिवादी का वर्तमान मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित करे।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का अक्टूबर 2026 व नवंबर 2026 के बिल निरस्त करते हुए 386 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से संशोधित करें। साथ ही नवंबर 2026 से वर्तमान तक जारी बीजकों से LPS हटाते हुए संशोधित बीजक जारी करें। परिवादी संशोधित बीजक जारी होने के एक सप्ताह के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करे। विपक्षी इस आदेश को अनुपालन आख्या निर्णय/आदेश प्राप्त के 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्त के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


दिनांक:-24.02.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-24.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचउत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०हल्द्वानीजिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-11/2026पंजीकरण तिथि-12.01.2026निर्णय तिथि-25.02.2026

बसंत बल्लभ ओली
 सत्य विहार कालौनी
 आर०टी०ओ० रोड़
 हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी




बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय


1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मैं UPCL का उपभोक्ता हूँ और मेरे आवास पर ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम दिनांक 07 नवंबर 2025 से चालू है। सोलर सिस्टम से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, इसके बावजूद मुझे लगातार गलत एवं अत्यधिक विद्युत बिल भेजे जा रहे हैं। मेरे परिसर पर नेट मीटर दिनांक 16.11.2025 को स्थापित किया गया है। रूफटॉप सोलर प्लांट का कमीशनिंग प्रमाण पत्र UPCL उपखंड कमलुवागांजा द्वारा 04.12.2025 को जारी किया गया है। इसके बावजूद UPCL द्वारा लगाया गया स्मार्ट मीटर अब तक नेट मीटर मोड में कॉन्फिगर नहीं किया गया है। स्मार्ट मीटर केवल IMPORT को उपभोग में दिखा रहा है तथा सोलर से उत्पन्न EXPORT यूनिट को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें भी उपभोग में जोड़ दिया जा रहा है। जबकि पहले से स्थापित नेट मीटर पर IMPORT-EXPORT का सही लेखा जोखा स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। इस तकनीकी त्रुटि के कारण सोलर सिस्टम होने के बावजूद मुझे वास्तविक खपत से 2 से 3 गुना अधिक यूनिट के आधार पर रुपया 5000.00 से अधिक के अत्यधिक गलत बिल भेजे जा रहे हैं। मैं इस विषय में उपखंड अधिकारी, स्मार्ट मीटर विभाग एवं ग्राहक सेवा को बार-बार सूचित किया है, परंतु आज तक कोई प्रभावी समाधान नहीं किया गया। अतः आपसे अनुरोध है कि UPCL को निर्देशित किया जाए की स्मार्ट मीटर को तुरंत नेट मीटर मोड में परिवर्तित किया जाए अथवा उसे हटाकर नेट मीटर के आधार पर सही बिलिंग की जाए। अब तक







जारी सभी गलत बिलों का संशोधन (Bill Revision) किया जाए। भविष्य में केवल सही IMPORT-EXPORT आधारित नेट मीटर बिलिंग सुनिश्चित की जाए। जब तक यह त्रुटि दूर नहीं हो जाती और सही नेट मीटर आधारित बिल उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक गलत स्मार्ट मीटर आधारित बिल का मुग्तान करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय फोरम इस विषय में शीघ्र हस्तक्षेप कर उपभोक्ता को न्याय प्रदान करेगा।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 17.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-392E225621527, (विद्युत भार 4 kw) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता के परिसर में सोलर मापक लगाया गया है। अड़ानी ग्रुप द्वारा सीलिंग को बाय डायरेक्शनल कर दिया गया है माह 02/2026 में उपभोक्ता को सही रीडिंग से संशोधित बिल दिया जायेगा।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 28.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के माह 01/2026 के बिल में एक्सपोर्ट्स यूनिट्स का समायोजन नहीं हुआ है। वर्तमान में स्मार्ट मापन द्वारा एक्सपोर्ट यूनिट्स रिकॉर्ड की जा रही है। माह 02/2026 का बिल निर्गत होते ही सोलर मापन के MRI के आधार पर एक्सपोर्ट यूनिट्स का समायोजन कर दिया जाएगा।
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 12.02.2026 में कहा गया है कि मैं उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) का एक नियमित उपभोक्ता हूँ तथा मेरे आवास पर ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित है। पूर्व में मैंने आपके माननीय फोरम के समक्ष स्मार्ट मीटर की गलत कॉन्फिगरेशन एवं उससे उत्पन्न त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलिंग के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की थी। आपके माननीय फोरम के हस्तक्षेप एवं आवश्यक निर्देशों के परिणामस्वरूप मेरे परिसर में स्थापित स्मार्ट मीटर को दिनांक 14 जनवरी 2026 को सफलतापूर्वक नेट मीटर मोड में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में स्मार्ट मीटर पर Import एवं Export दोनों यूनिट्स सही रूप से प्रदर्शित हो रही हैं तथा बिलिंग प्रणाली भी तकनीकी रूप से सही प्रकार से कार्य कर रही है। इस महत्वपूर्ण सहयोग हेतु मैं आपके फोरम एवं संबंधित विभाग के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

किन्तु निवेदन यह है कि स्मार्ट मीटर को नेट मीटर मोड में परिवर्तित किए जाने से पूर्व, दिनांक 16 नवम्बर 2025 (ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम प्रारंभ तिथि) से 14 जनवरी 2026 तक जो विद्युत बिल जारी किए गए थे, उनमें उपभोग की गणना तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण की गई थी। उक्त अवधि के बिलों में सोलर सिस्टम द्वारा उत्पन्न Export यूनिट्स को भी उपभोग (Consumption) में जोड़ दिया गया था, जबकि नेट मीटर पर वास्तविक Import एवं Export यूनिट्स का सही विवरण उपलब्ध है। वर्तमान में नेट मीटर लगभग 200 से अधिक यूनिट्स को सरप्लस (Export Balance) के रूप में दर्शा रहा है। इस तकनीकी त्रुटि के परिणामस्वरूप वास्तविक विद्युत खपत से अधिक यूनिट्स का बिल बनाया गया। सोलर उत्पादन के बावजूद अत्यधिक एवं गलत बिल उत्पन्न हुआ। वर्तमान में मेरे उपभोक्ता खाते में लगभग ₹ 6707.00 की बकाया राशि दर्शाई जा रही है, जो पूर्णतः उक्त त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कारण उत्पन्न हुई है। अब जबकि स्मार्ट मीटर को नेट मीटर मोड में परिवर्तित कर दिया गया है तथा सही Import-Export डेटा प्रदर्शित हो रहा है, अतः पूर्व में जारी किए गए बिलों का संशोधन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि स्मार्ट मीटर को नेट मीटर मोड में परिवर्तित किए जाने से पूर्व जारी सभी विद्युत बिलों की तकनीकी समीक्षा कराई जाए।







नेट मीटर पर उपलब्ध वास्तविक Import एवं Export यूनिट्स के आधार पर सही संशोधित (Revised) बिल जारी किया जाए। मेरे खाते में दर्शाई जा रही लगभग ₹ 6707,00 की बकाया राशि का आवश्यक संशोधन/समायोजन किया जाए। संशोधित एवं सही बिल उपलब्ध कराए जाने पर मुझे भुगतान हेतु अवसर प्रदान किया जाए।


मैं UPCL का एक जिम्मेदार एवं नियमित उपभोक्ता हूँ तथा सही एवं संशोधित बिल उपलब्ध होने पर अपना देय भुगतान तत्काल करने हेतु पूर्णतः तैयार हूँ। वर्तमान बकाया राशि केवल तकनीकी त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई है, अतः उपभोक्ता हित एवं न्यायोचित बिलिंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस विषय में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। आपके सहयोग एवं सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या/उत्तर पत्र दिनांकित 18.02.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या-392E225621527, (विद्युत भार 4 kw) का अवलोकन कर बिल को import तथा export के आधार पर संशोधित कर दिया गया है।
6. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से विभाग/विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिये जाने के पश्चात वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।


आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत-का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


दिनांक:-25.02.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)




(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)




(विष्णु प्रसाद जोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।


दिनांक:-25.02.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद जोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम:-

- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
- 2-तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
- 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-19/2026

पंजीकरण तिथि:-06.02.2026

निर्णय की तिथि:- 25.02.2026

राम प्रसाद,
टांसपोर्ट नगर, लालकुआं हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल

परिवादी


बनाम


अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी(ग्रामीण)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- कि प्रार्थी राम प्रसाद (उम्र लगभग 68 वर्ष), उपभोक्ता संख्या 391S102131981 के संबंध में पूर्व में विस्तृत शिकायत पत्र दिनांक 03 फरवरी 2026 को स्पीड पोस्ट एवं ई-मेल के माध्यम से आपके कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त शिकायत पत्र की प्रतिलिपि उपरोक्त सभी संबद्ध कार्यालयों को भी भेजी जा चुकी है। यह अत्यंत खेदजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकायत भेजे जाने के पश्चात भी आज तक न तो विद्युत कनेक्शन बहाल किया गया है और न ही किसी प्रकार की राहत प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप प्रार्थी विगत चार दिनों से इस कड़ाके की ठंड में बिना बिजली के रहने को विवश है, जिससे उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। यह उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि प्रार्थी इस उम्र में पहले से ही शारीरिक रूप से कमजोर है तथा पशु पालन एवं एक छोटी सी चाय की दुकान के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाता है। विद्युत आपूर्ति न होने के कारण उसकी रोजी-रोटी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है और दैनिक जीवन यापन भी कठिन हो गया है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को इस प्रकार वर्षों तक कार्यालयों के चक्कर कटवाना, न्याय की आशा दिखाकर अंततः उसका विद्युत कनेक्शन काट देना न केवल अमानवीय है, बल्कि विधि एवं नैतिकता दोनों के विरुद्ध है। इतने लंबे समय से प्रार्थी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु समाधान करने के स्थान पर उसे और अधिक प्रताड़ित किया गया है।








यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाता है कि यदि इस निरंतर प्रताड़ना एवं बिजली आपूर्ति न होने के कारण प्रार्थी को किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक क्षति होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं संबंधित अधिकारियों की होगी। अतः आपसे पुनः विनम्र किंतु दृढ़ आग्रह है कि प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, ताकि वह न्यूनतम मानवीय जीवन यापन कर सके एवं अपनी छोटी सी चाय की दुकान के माध्यम से आजीविका चला सके। कृपया इस प्रकरण को अत्यंत गंभीरता एवं मानवीय दृष्टिकोण से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। अन्यथा प्रार्थी विवश होकर विधिक कार्रवाई हेतु बाध्य होगा।


2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि माह 07/2023 तक सही रीडिंग से बिल बने है फिर मापक खराब हो गया था। शिकायत के आधार पर दिनांक 01/10/2023 को खराब मापक को बदल दिया गया था, लेकिन माह 03/2024 में नए मापक की सीलिंगको फीड किया गया है। मापक के बदल जाने के बाद भी समय से सीलिंग फीड न होने के कारण RDF से बिल प्रेषित किए गए है। नया मापक लगने की दिनांक से वर्तमान तक बिल को संसोधित किया जाता है।
- 3- परिवादी द्वारा दिनांक 13.02.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि:- मेरी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया है। इस संबंध में आपके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग, तत्परता एवं सकारात्मक कार्यवाही के लिए मैं हृदय से आपका अत्यंत आभारी एवं कृतज्ञ हूँ। आपकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारपूर्ण सेवा के कारण मुझे समय पर राहत प्राप्त हुई, जिसके लिए मैं पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आशा है कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार जनहित में अपनी सेवाएँ प्रदान करते रहेंगे।
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की विद्युत विच्छेदन से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।


आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-25.02.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(बिष्णु प्रसाद जोषाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-25.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद जोषाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-23 / 2026
पंजीकरण तिथि-18.02.2026
निर्णय तिथि-25.02.2026

राजेन्द्र कुमार पाण्डे
 स्व० गोविन्द बल्लभ पाण्डेय
 मल्ला रामगढ़
 जिला-नैनीताल।

परिवादी


बनाम


अधिशारी अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र दिनांकित 18.02.2026 में कहा गया है कि मेरा रामगढ़ डाकखाने में मकान है। जिसका कनेक्शन संख्या-591RT5084986 है। मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। और महीने में एक दो बार रामनगर घर में जाता हूँ। दिनांक 24.09.2025 से 12.10.2025 को मेरा बिल अचानक रूपया 40122.00 आ गया। मैं भवाली में SDO साहब से मिला और उन्होंने मीटर की MRU कराई जिसमें कोई खराबी नहीं थी। अतः मेरे बिल वही पुराने जैसे आ रहे हैं (नॉर्मल बिल आ रहे हैं)। महोदय कृपा करके मेरे बिल को ठीक कर दें ताकि मैं उसे जमा कर सकूँ।
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.02.2026 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता के मापक से प्राप्त रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल सही है। उपभोक्ता के विद्युत मापक संख्या-यू 220421 की एम०आर०आई० करने के उपरान्त खपत से ज्ञात होता है कि माह सितम्बर-अक्टूबर में मापक में रीडिंग 4595 यूनिट अधिक पायी गयी है। माह सितम्बर-अक्टूबर में अधिकतम मांग 25.496 एवं अक्टूबर-नवम्बर में मांग 32.806 है जो संदेह उत्पन्न कर रही है। उपभोक्ता द्वारा चैक मापक के आवेदन व उचित भुगतान करने के उपरान्त ही चैक मापक लगा कर मापक की जांच की जा सकती है। संदेह की स्थिति में यदि उपभोक्ता चाहे तो चैक मापक हेतु आवेदन कर चैक मापक लगाकर मापक की सही जांच प्राप्त की जा सकती है।









3. दिनांक 25.02.2026 को उपखंड अधिकारी मंच में उपस्थित हुए उनके द्वारा MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्वीकार किया गया कि अक्टूबर और नवंबर माह में मीटर की MDI अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई है जबकि परिवादी की पूर्व में प्रतिमाह खपत बहुत ही न्यूनतम है। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। खंड कार्यालय की आख्या एवं उपखंड अधिकारी को सुनने के साथ ही MRI रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। MRI रिपोर्ट से स्पष्ट है कि स्वीकृत भार के सापेक्ष अगस्त 2025, अक्टूबर 2025 एवं नवंबर 2025 में मीटर में अधिकतम मांग एवं खपत में काफी विरोधामाष है। स्पष्ट है कि मीटर सही कार्य नहीं कर रहा है जिसे बदला जाना आवश्यक है तथा परिवादी का बीजक संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।


आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर को तत्काल बदले तथा अक्टूबर नवंबर माह में जहां MDI 25.496 एवं 32.806 अंकित हुई है, उस अवधि के बिलों को पूर्व के तीन बिल चक्रों के औसत आधार पर संशोधित करे। विपक्षी इस आदेश/निर्णय की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक:-25.02.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-25.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-22/2026

पंजीकरण तिथि-12.02.2026

निर्णय तिथि-25.02.2026

दया किशन
द्वारा खीमानन्द
ग्राम-गरगड़ी झडगाव
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 12.02.2026 में कहा गया है कि "Due to information connection number 592OP08083865 I feel very sad to inform you that in the last 3-4 years, bills of Rs. 5000-10000 have been provided to our house by the Electricity Department several times. There is no checking of the meter, nor is any unit noted down, and then without seeing, without thinking, without understanding, you people give this bill for what purpose and after that we get threats from your side that we will disconnect the electricity. I want to ask the Uttarakhand Government that why are you doing this, what is the motive behind it. The objective of Uttarakhand Electricity Bill Subsidy Scheme is to provide financial relief to the residents of Uttarakhand by reducing the electricity bills. The government has started this scheme so that the population of the state can get cheap electricity. I request all of you not to send such bills due to which people become victims of harassment. How much money have we paid to the Electricity Department till now, how much has been paid for how many units, please give complete details."
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 20.02.2026 में कहा गया है कि उक्त प्रकरण उपभोक्ता को पूर्व में निरन्तर विद्युत बिल निर्गत किये गये हैं और वर्तमान में भी मापक में आई रीडिंग के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये हैं। बिल की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 01.04.2024 से विद्युत बिल जमा नहीं किया गया है जिस कारण उपभोक्ता पर कुल रु० 5855.00 की धनराशि








बकाया है। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना है। उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता का विद्युत बिल सही है। यदि उपभोक्ता को उक्त बिल से सम्बन्धित और अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो वह उपखण्ड कार्यालय, भीमताल से प्राप्त कर सकते हैं।


3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी की ओर से सहायक अभियंता (राजस्व) उपस्थित हुए। विपक्षी को सुना गया विपक्षी द्वारा कहा गया कि परिवादी को मीटर रीडिंग के सही बिल भेजे गए हैं, जो उचित टैरिफ स्लैब से बने हैं। परिवादी द्वारा बिलों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण बकाया राशि बढ़ती जा रही है। विपक्षी को सुनने के पश्चात मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। बिल हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने परिवादी को वास्तविक खपत के बिल भेजे गए हैं जो उचित टैरिफ स्लैब से जारी किए गए हैं। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।


आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-25/02/2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-25/02/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-24/2026

पंजीकरण तिथि-19.02.2026

निर्णय तिथि-25.02.2026

सुरेन्द्र कनौजिया
 द्वारा ओ०पी० कपूर
 मुन्नालाल कनौजिया
 शीशमहल, रौतेला कम्पाउण्ड
 काठगोदाम
 जिला-नैनीताल।

परिवादी


बनाम


अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 तिकोनिया, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मैं शीश महल रौतेला कम्पाउण्ड, काठगोदाम में रहता हूं। मेरा कनेक्शन नंबर-40115374100/3875313112597 है। प्रतिमाह बिजली का बिल सामान्यतः 2500-2700 प्रतिमाह आता है परंतु इस माह 15.12.2025 से 13.02.2026 तक के समयवधि का बिल 6654/- आया है जो सामान्य से तीन गुना है। मीटर भी अच्छी तरह से रीडिंग नहीं देता है। कृपया बिल व मीटर की जांच शीघ्रता शीघ्र करवाने की कृपा करें ताकि बिल का तुरन्त भुगतान किया जा सके।
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.02.2026 में कहा गया है उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता के समस्त बिल M.U आधारित निर्मित है जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया गया है। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री एवं लेजर की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
- मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने बिल अधिक आने की शिकायत एवं मीटर शुद्धता जांच की मांग की है। परिवादी को मीटर की शुद्धता पर शंका है तो वह चैक मापक हेतु विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की शुद्धता जांच करवा सकता है। चैक मापक स्थापना के लिए परिवादी के स्तर पर ही कार्यवाही की जानी है। अतः मंच में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।










आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक:-25.02.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-25.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-151/2025

पंजीकरण तिथि-24.10.2025

निर्णय तिथि- 10.02.2026

अंकित बिष्ट व अन्य
वैशनों कालौनी
हिम्मतपुर तल्ला
गंगोत्री बैक्वट हॉल के पास
कमलुवागांजा रोड
पो०ओ०-हरिपुरनायक
जिला-नैनीताल।

परिवादी


बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 24.10.2025 में कहा गया है कि हम वैशनों कॉलोनी, हिम्मतपुर तल्ला के निवासी इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारी कॉलोनी में कई वर्षों से चली आ रही अत्यंत गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं हमारी कॉलोनी में अत्यधिक कम वोल्टेज की समस्या रहती है। गर्मियों के मौसम में भी हमारी कॉलोनी में वोल्टेज बहुत कम आती है जिस कारण ना हम पंखों का उसे प्रयोग कर पाते हैं ना कूलर का वोल्टेज इतनी कम होती की पंख तक सही से नहीं चलते कूलर ए०सी० या फ्रिज का उपयोग असंभव सा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है की समस्या केवल हमारी ही कॉलोनी में है आसपास की सभी कॉलोनी में पूर्ण वोल्टेज उपलब्ध रहती है। हम सभी नियमित रूप से बिजली का बिल भुगतान करते हैं और विद्युत विभाग के जिम्मेदार व पुराने उपभोक्ता होने के नाते यह हमारा अधिकार है कि हमें उचित विद्युत आपूर्ति मिले। महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि इस संबंध में हम पूर्व में भी कई बार विद्युत विभाग कमलुवागांजा में मौखिक व लिखित रूप से अपनी समस्या दे चुके





विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-0202512110001

पंजीकरण तिथि:-14.01.2026

निर्णय की तिथि:- 09.02.2026

भुवन लाल साह,
तल्लीताल जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम


अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:- "Regarding Excess Electricity Bill - Account No. 40112208838."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:-
 1. उपखण्ड अधिकारी, नैनीताल की आख्या अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर दि० 22.01.2026 को पुनः मापक की रीडिंग चौक करायी गयी है। जिसके उपरान्त मापक में 016111kwh रीडिंग पायी गयी है।
 2. उपभोक्ता के मापक की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार दि० 08.01.2026 को मापक में 016012 kwh रीडिंग पायी गयी है इसके साथ ही दिनांक 07.12.2025 को 15744 kwh रीडिंग पायी गयी है।
 3. उपरोक्त सभी रीडिंग के आधार पर स्पष्ट है कि उपभोग के आधार पर बिल सही है। उपभोक्ता द्वारा दि० 11.11.2025 से 07.12.2025 तक 233 युनिट का उपभोग किया गया है।
 4. यदि उपभोक्ता को मापक की रीडिंग पर संदेह है तो वह चैक मापक हेतु ऑन लाइन आवेदन एवं आवश्यक शूल्क जमा कर मापक की जांच करा सकते हैं। सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।
3. परिवादी द्वारा दिनांकित 03.02.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि-
" कि विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपखंड अधिकारी की आख्या का मैंने अवलोकन






कर लिया है। वर्तमान में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ। साथ ही, नियमानुसार मीटर की विधिवत जाँच (Meter Checking) हेतु आवेदन प्रस्तुत करूँगा। अतः इस स्तर पर मुझे माननीय मंच के समक्ष कोई आपत्ति नहीं है एवं निवेदन है कि मेरी शिकायत को संतोषजनक रूप से निस्तारित मानते हुए बंद करने की कृपा करें।”

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।


आदेश


विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


दिनांक:- 09.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:- 09.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.:04202602130001







Shri/Smt. M/S Bajranj Auto

V/S

Executive Engineer..Haldwan(T)

ORDER SHEET

| Signature | Date | Order | Next Date |
|-----------|------|-------|-----------|
|-----------|------|-------|-----------|

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| | 16.02.2026 | <p>आज यह परिवाद प्राप्त हुआ। आदेशित हुआ कि, अवलोकित। दर्ज रजिस्टर हों। विपक्षी/विभाग को दिनांक 25.02.2026 को उत्तर पत्र हेतु नोटिस जारी हों।</p> <p align="center">  </p> <p align="center"><u>आदेश</u></p> | 25.02.2026 |
| | 25/02/26 | <p>पत्रावली बख़्त। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता के बैंकिंग लेजर के अडवर्स बिलिंग डेप रु. 40703.00 दिनांक 18.02.2026 का भुगतान प्राप्त हुआ है। परिवारी की बैंक भुगतान के बावजूद "ACCOUNT SHOWS PAYMENT PENDING" शिकायत का निवारण हो चुका है। परिवारी ने भी मंच कार्यलय का भेजी हंगुष्टि में लिखा है कि "the problem is solved. Request you to close the complaint."</p> <p>अतः परिवारी की हंगुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली डाकिल दफ़तर हो।</p> <p align="center">  </p> <p>हिमांशु बहुगुणा (सदस्य उपभोक्ता)</p> <p>तिलक राज भाटिया (सदस्य तकनीकी)</p> <p>विष्णु प्रसाद डामाल (सदस्य न्यायिक)</p> | निस्तारित |

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
 2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202601110001

पंजीकरण तिथि:-14.01.2026

निर्णय की तिथि:- 09 .02.2026

राजेश कुमार शर्मा,
 अर्चना निवास, ओम विहार,
 गैस गोदाम रोड़,
 हल्द्वानी जिला-नैनीताल

परिवादी


बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हल्द्वानी(ग्रामीण)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:-“No body reading meter and lumaum enter and my bill is very high We request you to reading the meter and give latest bill.”
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 28.01.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का बिल बनाकर उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी बिलिंग हिस्ट्री पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. परिवादी द्वारा दिनांकित 30.01.2026 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि **Trail the mail and inform you that the matter is not resolved but we have paid the bill and also informed you that I am out of station, sir we unable to present the court Sorry for inconvenience caused.**
4. मंच में दिनांक 31.01.2026 की सुनवाई की तिथि पर परिवादी अनुपस्थित रहे विपक्षी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित रहें। विपक्षी के तर्क सुने गये। परिवादी द्वारा पत्र के माध्यम अवगत कराया गया कि मामले का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। हालांकि बिल का भुगतान उनके द्वारा






कर दिया है तथा शहर से बाहर होने के कारण दिनांक 31.01.2026 सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकता। जबकि विपक्षी/विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी ने मीटर रीडिंग एवं वर्तमान बिल की मांग की है, उन्हें रीडिंग आधारित बिल दे दिए गए हैं बिल में संशोधन किया जाना संभव नहीं है। परिवादी को न्यायहित में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया कि आप अपने बिल के संबंध में स्पष्ट रूप से बताएं कि बिल में क्या गलत है, जिसमें संशोधन किया जा सके।

5. परिवादी द्वारा दिनांकित 03.02.2026 को अपने आख्या में कहा गया कि हमारे बिजली बिल के मीटर रीडिंग एवं वर्तमान बिल के संबंध में था। उक्त संदर्भ में हम आपको यह अवगत कराना चाहते हैं कि विभाग द्वारा अभी जो विवरण दिया गया है वो यदि हमें समय से दे दिया होता तो हमें शिकायत न करना पड़ता। हम आपको यह भी अवगत करना चाहते हैं कि विभाग द्वारा समय में मीटर रीडिंग करने नहीं आता है जिससे ग्राहको को असुविधा का शिकार होना पड़ता है। हमारे घर में फरवरी 2025 को सोलर लाईट लगाई गई थी अनेकों बार बिजली विभाग में जाने के बाद भी बिल मुझे नहीं दिया गया। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि विभाग समय में रीडिंग कर बिल प्रस्तुत करे। जिससे कि ग्राहक लोगों को सुविधा हो। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि यह शिकायत को निरस्त किया जाये।
6. मंच द्वारा संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।


आदेश


विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


दिनांक:- 09 .02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:- 09 .02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम:- 1-बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य (न्यायिक)
2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202601210001

पंजीकरण तिथि:-21.01.2026

निर्णय की तिथि:-13.02.2026

तुषार सिंह खत्री,
इंजीनियर एनक्लेव,
पीलीकोठी रोड, हल्द्वानी,

परिवादी


बनाम


अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
हल्द्वानी (ग्रामीण)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि- "Electric Meter not showing any reading, however functional. House was vacant and locked for last six months, therefore no one could check. Request for checking, repair/ replacement of the same."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 29.01.2026 में कहा गया है कि शिकायत के आधार विद्युत संयोजन संख्या-392E125582974, (विद्युत भार 2.00 kw) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता के परिसर में लगा मापक खराब है। उपभोक्ता को IDF से औसत यूनिट का बिल दे दिया गया है, साथ ही खराब मापक को बदलने की शिकायत भी रजिस्टर कर मापक परिक्षण खंड को प्रेषित कर दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा अपनी आपत्ति दिनांकित 07.02.2026 में कहा गया कि Please refer to my complaint under reference. It is submitted that the bill generated has been cleared. It is also submitted that the non functional electric meter has not been replaced yet. It is therefore requested that necessary action be taken to replace the same as requested in the complaint.





4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2026 में कहा गया कि उपरोक्त के परिसर में लगा मापक खराब है। खराब मापक को बदल दिया गया है, जिसका सीलिंग प्रमाण पत्र आपको प्रेषित किया है। सीलिंग प्रमाण पत्र के ऑनलाइन तथा नए मापक की वर्तमान रीडिंग प्राप्त होते ही विल संसोधन किया जायेगा।

5. परिवादी द्वारा दिनांक 12.02.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि—


" Pl refer to my application for replacement of non functional electric meter. It is intimated that the said electric meter has been replaced and the subject issue has been resolved"


6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की मीटरिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश


विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


दिनांक:— 13.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:— 13.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202601240001

पंजीकरण तिथि-24.01.2026

निर्णय तिथि-25.02.2026

प्रकाश सिंह भण्डारी
 जागनाथ कालौनी
 दमुवाढुंगा, हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
 हीरानगर, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय


- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र (ऑनलाइन पोर्टल) दिनांकित 24.01.2026 में कहा गया है कि "Outstanding payment of 20464 of solar rooftop is not created credited to account."
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 31.01.2026 में कहा गया है शिकायतकर्ता के दी जाने वाली धनराशि (₹ 20464.00) Requirement मुख्यालय भेजी गई है। अतिशीघ्र ही उपभोक्ता के खाते में धनराशि निर्गत कर दी जाएगी तथा माननीय फोरम को भी अवगत करा दिया जाएगा।
- परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित में कहा गया है कि "With regards to your email dated 31 Jan 2026. Subject matter for crediting the due amount of solar rooftop electricity exported is not yet cleared. It is once again requested to kindly credit the due amount to my SBI account at the earliest please."
- मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी उपस्थित परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी द्वारा बताया गया कि मुख्यालय से खंड कार्यालय में सोलर रूफटॉप संबंधी उपभोक्ताओं की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। एक सप्ताह के भीतर उपभोक्ता के खाते में यह राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी को मुख्यालय स्तर से संबंधित मद में धनराशि प्राप्त हो चुकी है जिसे विपक्षी ने एक सप्ताह के भीतर उपभोक्ता के बैंक


खाते में स्थानांतरित करने का वक्तव्य दिया है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है। विपक्षी राशि स्थानांतरण कर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करेंगे।


आदेश

परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को ~~बने~~ आदेशित किया जाता है कि परिवादी के खाते में धनराशि स्थानांतरित कर इस आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-25/02/2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद जोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-25/02/2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद जोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

कोरम 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-04202602180001

पंजीकरण तिथि-19.02.2026

निर्णय तिथि-24.02.2026

पुष्पा पाण्डेय
मकान नं०-06/1
नियर गोलू मंदिर, दुंगशील
दुंगशील साह, भीमताल
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशारी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय


- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र (ऑनलाइन पोर्टल) दिनांकित 24.01.2026 में कहा गया है कि "My metre is not working properly the reading is jump so please check or change the metre."
- विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.02.2026 में कहा गया है उक्त प्रकरण उपभोक्ता द्वारा मापक के सही काम न करने व रीडिंग के जम्प करने से सम्बन्धित शिकायत की गयी है। मापक के सही काम न करने व रीडिंग के जम्प की शिकायत उपाकालि० के टॉल फ्री नं०-1912 में शिकायत दर्ज की जा सकती है। उपभोक्ता (श्री दीपक पाण्डे मो० नं० 8979045456) को दूरभाष के माध्यम से भी चैक मापक हेतु अवगत कराया गया है। उपभोक्ता द्वारा चैक मापक के आवेदन व उचित भुगतान करने के उपरान्त ही चैक मापक लगा कर मापक की जांच की जा सकती है। चैक मापक के आवेदन के पश्चात घनराशि का भुगतान ऑन लाइन या उपखण्ड कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है। माननीय मंच से अनुरोध है कि उपभोक्ता को मापक की जांच के लिये चैक मापक लगाने हेतु टॉल फ्री नं०-1912 में शिकायत दर्ज करने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें।
- मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने बिल अधिक आने की शिकायत एवं मीटर शुद्धता जांच की मांग की है। परिवादी को मीटर की शुद्धता पर शंका है तो


वह चैक मापक हेतु विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की शुद्धता जांच करवा सकता है। चैक मापक स्थापना के लिए परिवादी के स्तर पर ही कार्यवाही की जानी है। अतः मंच में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।


आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बुड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-24.02.2026



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद भोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:-24.02.2026


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद भोमाल)
सदस्य (न्यायिक)